बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

पत्र सं0 – 128 / पटना, दिनांक –15. 1. 93

प्रेषक, श्री अतुल प्रसाद,
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक,,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

सेवा में,
प्राचार्य,
नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13

विषयः– आन्तरिक संसाधन सृजन के संबंध में।

महाशय,

दिनांक 13. 1. 93 को विश्व बैंक के पर्यवेक्षक दल के साथ भ्रमण के क्रम में आपके पोलिटेकनिक में यह पाया गया कि अपाके यहां कई सुविधाएं उपलब्ध है जिनका प्रयोग यदि उचित तरीके से किया जाय तो इससे न केवल पोलिटेकनिक के रख–रखाव एवं विकास के लिए आन्तरित संसाधन का सृजन हो सकेगा बल्कि इससे पठन–पाठन की प्रक्रिया में निखार आयेगा। उदाहरण स्वरूप प्रिटिंग प्रेस, मोटर गैरेज, कर्मशाला में विभिन्न लेथ–मशीन आदि उपलब्ध है परन्तु उनका प्रयोग उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में आप आन्तरिक संसाधन के सृजन के उद्देश्य से कोई कार्य कराते हैं। जिसमें सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पडता हो और न ही स्थापना संबंधी दायित्व का प्रश्न भविष्य में खड़ा होने की संभावना हो तो ऐसे कार्य को नियमानुसार करने के लिए कोई अतिरिक्त अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप आशंकित है तो एक समेकित योजना बनाते हुए अनुमोदन की प्रत्याशा में आन्तरित संसाधन के सृजन के लिए अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र करें।

विश्वास भाजन
ह०/–
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।